



रीज० न० एल०००००/एल०पी० 899

लाइसेंस नं. इ.प्र. पी.-४।

साइजिंग इ. पी.०० इ. प्र. कानूनमाला ३।

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-- 1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 10 अप्रैल, 2000

वैत 21, 1922 शक संभवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-- 1

संख्या 918/सत्रह-वि-1--1 (क)-39-1999

लखनऊ, 10 अप्रैल, 2000

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 7 अप्रैल, 2000 की अनुमति प्रदान की थी और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए माल के प्रवेश पर कर का उद्ग्रहण और संग्रहण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के हक्यावतर्ष वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होया।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

(3) यह पृथ्वी नवम्बर, 1999 को प्रवृत्त हुआ समाप्त जायगा।

परिभाषाएँ

2—(1) इस अधिनियम में,

(क) व्यापार के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं:—

(एक) कोई व्यापार, वाणिज्य या निर्माण अथवा व्यापार, वाणिज्य या निर्माण के स्वरूप का कोई प्रोद्योग या संस्थान, चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, प्रोद्योग या संस्थान लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाया जाय या नहीं और चाहे ऐसे व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, प्रोद्योग या संस्थान से कोई लाभ प्रोद्युक्त हो या नहीं;

(दो) किसी प्रयोजन के लिए किसी संकर्म संविदा का निष्पादन या किसी माल की प्रयोग करने के अधिकार का अंतरण चाहे किसी विनिश्चित अवधि के लिए हो या नहीं; और

(तीन) कोई संव्यवहार जो ऐसे व्यापार, वाणिज्य निर्माण, प्रोद्योग या संस्थान या संकर्म संविदा या पट्टे से अनुबंधी हो, या उससे सम्बद्ध हो या उससे आनुषंगिक या उसके परिणामस्वरूप हो।

(ख) "व्यापारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो व्यापार के दौरान, चाहे अपने वास्ते या किसी मालिक या किसी अन्य व्यक्ति के वास्ते, किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई माल लाता है या मंगवाता है अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश करने पर माल का परिधान प्राप्त करता है या परिधान प्राप्त करने का हकदार है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं:—

(एक) कोई स्थानीय प्राधिकारी; निर्गमित निकाय, कंपनी कोई सहकारी समिति या अन्य सोसाइटी, क्लब, फर्म, अधिभाजित हिस्सू कुटुम्ब या व्यक्तियों का अन्य संघ (एसोसियेशन) जो ऐसा व्यापार करता है;

(दो) कोई मध्यवर्गिक (फैक्टर) दलाल; आवृत्ती, कमीशन एजेंट, परिशोधी अधिकर्ता (डेल फ्रेडर एजेंट) या कोई अन्य वाणिज्यिक अधिकर्ता (मर्केंटाइल एजेंट) चाहे वह किसी नाम से पुकारा जाय, जो ऊपर वर्णित प्रकार का हो या न हो, और जो किसी प्रकट या अप्रकट मालिक के माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करने का व्यापार करता है;

(तीन) कोई नीलामकर्ता, जो किसी प्रकट या अप्रकट मालिक के माल का विक्रय या उसे नीलाम करने का व्यापार करता है; चाहे इच्छुक छेता की प्रस्थापना उसके द्वारा स्वीकार की जाय या मालिक द्वारा या मालिक के नामांकित द्वारा;

(चार) कोई सरकार जो चाहे व्यापार के दौरान या अन्यथा मकदं या बाढ़ में किये जाने वाले मुग्तान या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अन्य प्रकार से माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करती है;

(पाँच) प्रत्येक व्यक्ति जो राज्य के बाहर निवास करने वाले किसी व्यापारी के अधिकर्ता के रूप में कार्य करता है और राज्य में माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करता है या ऐसे व्यापारी की ओर से निम्नलिखित रूप में कार्य करता है:—

(क) माल विक्रय अधिनियम, 1930 में व्यापारिक वाणिज्यिक अधिकर्ता; या

(ख) माल या माल से सम्बन्धित हक के दर्शावतों का प्रवृत्त करने के लिए अधिकर्ता; या

(ग) माल के विक्रय मूल्य का संग्रह या मुग्तान करने के लिए अधिकर्ता या ऐसे संग्रह या मुग्तान के लिए प्रतिभू;

(घ) किसी फर्म या कंपनी या अन्य निर्गमित निकाय का मुख्य कार्यालय या मुख्यालय राज्य के बाहर हो और कोई शाखा या कार्यालय

राज्य में हो, वी ऐसी छात्रा या कार्यालय के माध्यम से माल का क्रय या विक्रय, सम्भरण या वितरण करने के सम्बन्ध में ऐसी फर्म या कंपनी या अन्य नियमित निकाय;

(सात) प्रत्येक व्यक्ति जो संक्रमण संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त मास (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य के रूप में) में सम्पत्ति के अन्तर्ग्रण का व्यापार करता है।

(आठ) प्रत्येक व्यक्ति जो नकद; आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल को किसी भी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) उपयोग करने के अधिकार के अन्तर्ग्रण का व्यापार करता है।

(नी) कोई व्यक्ति जो, व्यापार की प्रकृति के यदा-कदा संव्यवहार के दौरान, चाहे अपने बास्ते या किसी मालिक या किसी अन्य व्यक्ति के बास्ते, किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई माल छाता है या भंगवाता है अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश करने पर माल का परिदाय प्राप्त करता है या परिदाय प्राप्त करने के लिए हकदार है;

(ग) "स्थानीय क्षेत्र" का तात्पर्य;

(एक) उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अधीन किसी नगर निगम;

(दो) उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन किसी नगरपालिका।

(तीन) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन किसी क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत;

(चार) संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन किसी ग्राम पंचायत;

(पांच) छावनी अधिनियम, 1924 के अधीन किसी छावनी के प्रादेशिक क्षेत्र से है;

(ष) "कर" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर से है;

(छ) "माल का मूल्य" का तात्पर्य किसी स्थानीय क्षेत्र में माल प्रवेश कराने वाले किसी व्यापारी के सम्बन्ध में ऐसे माल के क्रय-मूल्य से है जैसा उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 2 के खण्ड (छ छ) में परिभाषित है; या ऐसे माल के, यदि उसे क्रय से भिन्न प्रकार से अजित या प्राप्त किया गया हो, बाजार मूल्य से है।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 में उनके लिए समनुदेष्टित हैं।

3—(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए व्यापार-कर कवित्वर प्रवेश-कर आयुक्त होगा।

(2) उत्तर प्रदेश व्यापार-कर ऐक्ट, 1948 के अधीन "कर निर्धारक प्राधिकारी" "अपील प्राधिकारी" और "अधिकरण" इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए क्रमशः "कर निर्धारक प्राधिकारी" "अपील सुनने वाला अधिकारी" और "अधिकरण" होंगे।

(3) कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए इस अधिनियम के उपबंधों और उनके अधीन अर्थात् गये नियमों के अन्तर्गत निष्पादन का अधीक्षण और नियंत्रण प्रवेश-कर आयुक्त में विहित होगा।

4—(1) किसी स्थानीय क्षेत्र में उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान, जिसमें उत्तर प्रदेश के बाहर का स्थान भी सम्मिलित है; से अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी माल के उपयोग; प्रयोग या विक्रय के लिए, प्रवेश पर माल के मूल्य के पांच प्रतिशत से अतिरिक्त एसी

इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारी

कर उद्ग्रहण

कर का उद्ग्रहण और संग्रहण किया जायेगा जैसी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और भिन्न-भिन्न माल या माल को भिन्न-भिन्न श्रेणियों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची को संशोधित कर सकती और ऐसी अधिसूचना के जारी होने पर अनुसूची की उपधारा (6) के उपबन्धों के प्रयोग रहते हुए, तदनुसार संशोधित समझा जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत कर किसी ऐसे व्यापारी द्वारा, जो ऐसे माल को चाहे अपने वास्ते या अपने मालिक के वास्ते स्थानीय क्षेत्र में लाता है या मंगवाता है या स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर ऐसे माल का परिदान प्राप्त करे या परिदान प्राप्त करने का हकदार हो, देय होगा।

स्पष्टीकरण :—जहाँ व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर माल के परिदान प्राप्त किया जाता है या माल किसी स्थानीय क्षेत्र में लाया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि व्यापारी जिसने ऐसे व्यक्ति से माल का परिदान प्राप्त किया है या स्थानीय क्षेत्र में माल लाया है या मंगवाया है।

(3) कोई व्यापारी, जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई माल लाता है या मंगवाता है कर का देनदार न होगा, यदि कर निर्धारण वर्ष के दौरान ऐसे माल का कुल मूल्य निर्माता की दशा में एक लाख रुपये और अन्य व्यापारी की दशा में एक लाख पचास हजार रुपये या ऐसी अधिक धनराशि से, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा या तो किसी माल के सभी व्यापारियों के सम्बन्ध में या किसी विशेष वर्ग के व्यापारियों के सम्बन्ध में इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, से कम हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के उपबन्ध, उत्तर प्रदेश के बाहर से किसी स्थानीय क्षेत्र में लाये गये माल के मूल्य के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यापारी से जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई माल जिसके सम्बन्ध में उक्त उपधारा के अधीन किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में कर का भुगतान कर दिया गया हो; लाता है या मंगवाता है; कर का उद्ग्रहण और संग्रहण नहीं किया जायेगा।

(5) किसी भी व्यापारी को उपधारा (4) का लाभ तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि वह विक्रेता व्यापारी से प्राप्त किया हुआ ऐसा घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र ऐसे पत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि में जो विहित की जाय, कर निर्धारक प्राधिकारी के समतोषानुसार प्रस्तुत न कर दे।

(6) इस धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् व्यावसायिक शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखी जायेगी और जब तक कि कोई बाद का विनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हो, प्रस्तावित होगी, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध अधिसूचना के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा; सिवाय इस बात के कि कर या शास्ति का आरोपण, निर्धारण; उद्ग्रहण या संग्रहण उक्त परिष्कार या अभिशून्यन के अधीन होगा।

व्यापारियों का
रजिस्ट्रीकरण

5—(1) प्रत्येक व्यापारी, जो उत्तर प्रदेश व्यापार-कर ऐक्ट, 1948 के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो और इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार हो, अपना रजिस्ट्रीकरण करायेगा।

(2) उत्तर प्रदेश व्यापार-कर ऐक्ट, 1948 के उपबन्ध जो व्यापारियों के रजिस्ट्रीकरण, अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण और राजस्व के हित में प्रतिभूति के सम्बन्ध में हैं; यथावश्यक परिशर्तों सहित व्यापारी पर लागू होंगे।

उत्तर प्रदेश
व्यापार-कर
ऐक्ट के कतिपय
उपबन्धों का
लाभ होना

6—इस अधिनियम के उपबन्धों और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश व्यापार-कर ऐक्ट, 1948 के अधीन कर निर्धारण, कर का पुनर्निर्धारण, संग्रह और कर के संदाय को लागू करने के लिए सशक्त प्राधिकारी; कर निर्धारण, कर का पुनर्निर्धारण, संग्रह और कर के संदाय, जिसमें इस अधिनियम के अधीन देय शास्ति सम्मिलित है, को लागू कर सकते हैं मानों वह उक्त ऐक्ट के अधीन देय कर या शास्ति थी

और इस प्रयोजन के लिए वे उक्त ऐक्ट और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन उन्हें जो शक्तियाँ हैं, उन सभी का, या उनमें से किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और उक्त ऐक्ट के उपबन्धों को जिसमें विवरण-पत्रों, कर के संदाय और वसूली, विघटित फर्म और हस्तान्तरिता पर कर का दायित्व, कर दायित्व का समाधान, व्यापारियों द्वारा कर की वसूली, अपील, पुनरीक्षण, मूल सुधार, पुनर्निर्माणित या नई कर्म पर कर निर्धारण और साक्ष का वसूला जाता, तृतीय पक्ष से वसूली, जांच चौकियों और नाकों, लेखा रखना, लेखों को दिखाने की आज्ञा देने का अधिकार तथा प्रवेश और निरीक्षण का अधिकार माल का अभिसंहार करने का अधिकार, अपराध और जास्तियाँ, अपराधों का समाधान, मिथ्या अमान्य-पत्र जारी करने पर दायित्व, रुपये की वापसी, कुछ ऐसी सूचना जो गपनीय हो, राजस्व की कृपट बंकात करने के लिए किये गये अन्वेषण का धूम्य होना, व्याज प्रभारित करना और देना अधिकारिता के प्रति आपत्ति, हानि रक्षा, कठिनय कार्यवाहियों पर रोक, कम्पनियों द्वारा अपराध विवादास्पद प्रश्नों का अवधारण, निरस्त भंडार करने का अधिकार और सग्न औद्योगिक इकाइयों के लिए सुविधा सम्पत्ति है, क्यावश्यक परिदृश्यों सहित लागू होंगे।

7--(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिता की प्रभावी बनाने में कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार जैसा अधिसूचित विधेय पर अवैजित हो, अधिसूचित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हो, प्रभावी होगा, जिन्हें यह आवश्यक या समीचीन समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा बनाये गये उपबन्ध प्रभावी होंगे मानों इस अधिनियम में अधिनियमित किये गये हैं और ऐसा कोई आदेश किसी भूतलकी दिनांक से किन्तु जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व का दिनांक नहीं होगा, दिया जा सकता है।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

8—राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए नियम बना सकती है।

9—(1) उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 2000 एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन या उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 1999 के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

अनुसूची

(धारा 4 देखिए)

- 1—ऐस्पूमिनियम की कच्ची घातु (घातुएं और स्क्रैप) और ऐस्पूमिनियम के टोन्ड उत्पाद और निष्कासन उत्पाद।
- 2—सभी प्रकार के रसायन।
- 3—काफी।
- 4—केन्द्रीय बिक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथापरिभाषित कच्चा तेल (क्रूड आयल)
- 5—मशीन और मशीन के फालतू पुर्जे जिनकी कीमत दस लाख रुपये या उससे अधिक हो।

(73)

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

नियम बनाने की शक्ति

निरसन और प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश अध्यादेश क्रमा 8 म 2000 उत्तर प्रदेश अध्यादेश क्रमा 21 म 1999

- 6—सभी प्रकार के मोटर वाहन जिसमें इसकी जेसिस भी सम्मिलित है, किन्तु इन्फेंस को छोड़कर।
- 7—प्राकृतिक गैस।
- 8—नाइलान सूत, पॉलिस्टर सूत और रासिस्टर स्टेचिल काइबर।
- 9—रेफ्रीजरेटर, एयर कंडीशनर, फ्रीज, वाणिज्य मशीन और टेलीविजन।
- 10—भारत में निर्मित विदेशी सरान।
- 11—चीनी।
- 12—पचास रुपये प्रति मोटर से अधिक कीमत वाले सभी प्रकार के रुपये।
- 13—सभी प्रकार की लम्बाकू और लम्बाकू के सभी उत्पाद।

प्राज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 918 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-39-1999

Dated Lucknow April 10, 2000

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor, on April 7, 2000.

THE UTTAR PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS ACT, 2000

(U. P. ACT No. 12 of 2000)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

to provide for the levy and collection of tax on entry of goods into a local area for consumption, use or sale therein and matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title
extent and
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Act, 2000.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on November 1, 1999.

Definitions

2. (1) In this Act,

(a) "business" includes,—

(i) any trade, commerce or manufacture or any adventure or concern in the nature of trade, commerce or manufacture, whether or not such trade, commerce, manufacture, adventure or concern is carried on with a motive to make profit and whether or not any profit accrues from such trade, commerce, manufacture, adventure or concern;

(ii) the execution of any works contract or the transfer of the right to use any goods for any purpose whether or not for a specified period; and

(iii) any transaction in connection with or incidental or ancillary to or resulting from such trade, commerce, manufacture, adventure or concern or works contract or lease;

(b) "dealer" means any person, who in the course of business whether on his own account or on account of a principal or any other person, brings or causes to be brought into a local area any goods or takes delivery or is entitled to take delivery of goods on its entry into a local area and includes,—

(i) a local authority, body corporate, company, any co-operative society or other society, club, firm, Hindu undivided family or other association of person which carries on such business;

(ii) a factor, broker, arhati, commission agent, delcreders agent or any other mercantile agent, by whatever name called and whether of the same description as herein before mentioned or not, who carries on the business of buying, selling, supplying or distributing goods belonging to any principal, whether disclosed or not;

(iii) an auctioneer who carries on the business of selling or auctioning goods belonging to any principal, whether disclosed or not, and whether the offer of the intending purchaser is accepted by him or by the principal or nominee of the principal;

(iv) a Government which, whether in the course of business or otherwise, buys, sells, supplies or distributes goods, directly or otherwise for cash or for deferred payment or for commission remuneration or other valuable consideration;

(v) every person who acts within the State as an agent of a dealer residing outside the State, and buys, sells, supplies or distributes goods in the State or acts on behalf of such dealer as,—

(a) a mercantile agent as defined in the Sale of Goods Act, 1930; or

(b) an agent for handling of goods or documents of title relating to goods; or

(c) an agent for the collection of the payment of the sale price of goods or as a guarantor for such collection or such payment;

(vi) a firm or a company or other body corporate, the principal office or headquarters whereof is outside the State, having a branch or office in the State, in respect of purchases or sales, supplies or distribution of goods through such branch or office;

(vii) every person who carries on the business of transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract;

(viii) every person who carries on business of transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration;

(ix) any person who, in the course of occasional transactions of business nature, whether on his own account or on account of principal or any other person brings or causes to be brought into a local area any goods or takes delivery or is entitled to take delivery of goods on its entry into local area;

(c) "local area" means the territorial area of,—

(i) a Municipal Corporation under the Uttar Pradesh Municipal Corporations Act, 1959;

(ii) a Municipality under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916;

(iii) a Zila Panchayat or a Kshetra Panchayat under the Uttar Pradesh Kshetra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961;

(75)

(iv) a Gram Panchayat under the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947;

(v) a Cantonment under the Cantonments Act, 1924;

(d) "tax" means tax leviable under this Act;

(e) "value of goods" in relation to a dealer who has effected entry of goods into a local area shall mean the purchase price of such goods as defined in clause (gg) of section 2 of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948, or the market value of such goods if they have been acquired or obtained otherwise than by way of purchase.

(2) Words and expressions used in this Act, but not defined shall have the meaning assigned to them in the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948.

3. (1) For carrying out the purposes of this Act, the Commissioner of Trade Tax shall be the Commissioner of Entry Tax.

Authority
under this
Act

(2) The "assessing authority", the "appellate authority", and the "Tribunal" under the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 shall respectively be the "assessing authority", the "appellate authority", and the "Tribunal" for the purposes of this Act.

(3) The superintendence and control for the proper execution of the provisions of this Act and the rules made thereunder relating to the levy and collection of the tax shall vest in the Commissioner of Entry Tax.

Levy of tax

4. (1) There shall be levied and collected a tax on entry of any goods specified in the Schedule into a local area from any place out side that local area including a place out side the Uttar Pradesh for consumption, use or sale therein, at such rates not exceeding five per cent of the value of the goods as may be specified by the State Government by notification and different rates may be specified in respect of different goods or different classes of goods.

Provided that the State Government may by notification amend the Schedule and upon issue of any such notification, the Schedule shall, subject to the provisions of sub-section (6), be deemed to be amended accordingly.

(2) The tax levied under sub-section (1) shall be payable by a dealer who brings or causes to be brought into the local area such goods, whether on his account or on the account of his principal or takes delivery or is entitled to take delivery of such goods on its entry into a local area.

Explanation:—Where the goods are taken delivery of on its entry into a local area or brought into a local area by a person other than a dealer, the dealer who takes delivery of the goods from such person shall be deemed to have brought or caused to have brought the goods into the local area.

(3) No dealer who brings or causes to be brought any goods into a local area shall be liable to tax, if during the assessment year the aggregate value of such goods is less than one lakh rupees in the case of manufacturers and one lakh fifty thousand rupees in case of other dealers or such larger amount as the State Government may by notification, specify in that behalf either in respect of all dealers in any goods or in respect of a particular class of such dealers.

Provided that provisions of this sub-section shall not apply in respect of value of the goods brought into a local area from outside Uttar Pradesh.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (2), no tax shall be levied on and collected from a dealer who brings or causes to be brought into a local area any goods in respect of which tax has been paid in any other local area under the said sub-sections.

(5) No benefit under sub-section (4) shall be given to a dealer unless he furnishes, to the satisfaction of the assessing authority, such declara-

tion or certificate obtained from the selling dealer in such form and manner and within such period as may be prescribed.

(6) Every notification made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of not less than fourteen days, extending in its one session or more than one successive sessions and shall unless some later date is appointed take effect from the date of its publication in *Gazette* subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may during the said period agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder except that any imposition, assessment, levy or collection of tax or penalty shall be subject to the said modification or annulment.

5. (1) Every dealer who is not registered under the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 and is liable to pay tax under this Act shall get himself registered.

Registration of dealers

(2) The provisions regarding registration, provisional registration of dealers and security in the interest of revenue in the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 shall *mutatis mutandis* apply to a dealer.

6. Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the authorities empowered to assess, re-assess, collect and enforce payment of tax under the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 shall assess, re-assess, collect and enforce payment of tax including penalty payable under this Act as if it was a tax or penalty payable under the said Act, and for this purpose they may exercise all or any of the powers they have under the said Act and the rules made thereunder and the provisions of the said Act of 1948 including the provisions relating to the returns, payment and recovery of tax, liability to tax of dissolved firm and transferee, composition of tax liability, realisation of tax by dealers, appeal, revision, rectification, assessment of reconstituted or new firm and change of partnership, recovery from third party, checkpost and barriers, accounts to be maintained, power to order productions of accounts and powers of entry and inspection, power to seize the goods, offences and penalties, compositions of offences, liability on issuing false certificate, refunds certain information to be confidential, making transfer to defraud revenue void, charging and giving interests, objection to jurisdiction, indemnity, bar to certain proceedings, offences by companies, determination of disputed question, power to grant instalments and facility for sick industrial units shall, *mutatis mutandis*, apply.

Application of certain provisions of the Uttar Pradesh Trade Tax Act

7. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, or by reason of any thing contained in this Act to any other enactment for the time being in force, the State Government may, as occasion requires, by a notified order direct that this Act shall have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem to be necessary and expedient.

Power to remove difficulties

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of the period of two years from the commencement of this Act.

(3) The provisions made by any order under sub-section (1) shall have effect as if enacted in this Act and any such order may be made so as to be retrospective to any date not earlier than the date of commencement of this Act.

(4) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

8. The State Government may make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make rules

(72)

Repeal and Savings

9. (1) The Uttar Pradesh Tax on Entry on Goods Ordinance, 2000 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1), or under the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Ordinance, 1999 shall be deemed to have been done or taken under this Ordinance as if the provisions of this Ordinance were in force at all material times.

SCHEDULE

(See section 4)

1. Aluminium ore, metal and scrap and aluminium rolled products and extrusion products.
2. Chemicals of all kinds.
3. Coffee.
4. Crude Oil as defined in section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956.
5. Machinery and spare parts of machinery valuing Rupees Ten lacs or more.
6. Motor Vehicles of all kinds including its chassis but excluding tractors.
7. Natural Gas.
8. Nylon yarn, polyster yarn and polyster staple fibre.
9. Refrigerator, air conditioner, oven, washing machine and television.
10. Indian made foreign liquor.
11. Sugar.
12. Textiles of all kinds valuing more than rupees Fifty per-metre.
13. Tobacco in all its form and all products of tobacco.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.